

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर
पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 95/2020

बुलेश कुमार पुत्र मुनाराम जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं.8 भरगडों की ढाणी पुरोहित का
बास तहसील जिला सीकर

-वादी -


बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी भरगडों की ढाणी पुरोहित का बास
तहसील व जिला सीकर
2. रामेश्वरलाल पुत्र रूड़ाराम जाति गुर्जर निवासी भरगडों की ढाणी पुरोहित का बास
तहसील व जिला सीकर
3. उप पंजीयक सीकर
4. तहसीलदार, सीकर

- प्रतिवादीगण -

वाद बाबत उद्घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ.

वाद वादी विक्रय पत्र के अनुसार स्वीकार नहीं किया जाकर केवल राजस्व रिकार्ड कृषि
भूमि खसरा नम्बर 3361 व 3366 रकबा 2.9700 है0 वाके ग्राम पुरोहित का बास
तहसील व जिला सीकर में बाबूलाल पुत्र रामेश्वर के नाम के आगे से नाबालिग शब्द
हटाने का आदेश किया जाता है। वादी का उद्घोषणा का वाद खारिज किया जाता
है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में
अमल दरामद करें।



(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 21/12/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी सीकर